भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1437

09.12.2025 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन

1437. **श्री तनुज पुनियाः**

श्री एंटो एन्टोनी:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्त वर्ष 2020-2025 के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उपयोग में प्रतिवर्ष वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा घरेलू विनिर्माण के लिए आपूर्ति श्रृंखला सुनम्यता को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) हाल की टैरिफ प्रणाली का घरेलू ईवी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्तमान में देश में विनिर्मित ईवी घटकों का प्रतिशत कितना है तथा घटक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन योजनाओं को वापस लेने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) वित्त वर्ष 2020-2025 के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की पैठ में वर्ष-दर-वर्ष बढ़ोतरी इस प्रकार है:-

(संख्या लाख में)

वित्त वर्ष/श्रेणी	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
पंजीकृत आईसीई वाहन	244.20	173.79	179.86	211.49	229.60	242.84
पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी)	1.74	1.43	4.59	11.83	16.81	19.68
ईवी पैठ	0.71%	0.82%	2.49%	5.30%	6.82%	7.50%

श्रोत: वाहन पोर्टल

(ख) इसके अलावा, भारी उद्योग मंत्रालय ने घरेलू विनिर्माण के लिए आपूर्ति शृंखला को मज़बूत करने के लिए निम्नलिखित स्कीमें शुरू की हैं:

i. **ऑटोमोबिल और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम (पीएलआई-ऑटो):** सरकार ने 15.09.2021 को 25,938 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (एएटी) उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पीएलआई-ऑटो स्कीम को मंज़ूरी दी। यह स्कीम न्यूनतम 50% घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) के साथ एएटी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य शृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव करती है।

ii नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी स्टोरेज के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम: सरकार ने 12.05.2021 को देश में एसीसी के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 18,100 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ पीएलआई-एसीसी को मंज़ूरी दी। इस योजना का उद्देश्य 50 गीगावॉट घंटा की कुल संचयी एसीसी बैटरी विनिर्माण क्षमता स्थापित करना है।

iii. पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम: पीएम ई-ड्राइव स्कीम 29.09.2024 को अधिसूचित की गई है। इस स्कीम का परिव्यय 10,900 करोड़ रुपए है, जो 01.04.2024 से 31.03.2028 तक चार वर्ष की अवधि के लिए है (ई-दुपहिया और ई-दुपहिया के अलावा, जिनकी अंतिम तारीख 31.03.2026 है)। इस स्कीम का उद्देश्य ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और ई-बसों की बिक्री को बढ़ावा देना है। यह स्कीम चार्जिंग अवसंरचना के विकास और वाहन परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन का भी समर्थन करती है। पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) में तय ईवी घटकों का घरेलू विनिर्माण ज़रूरी है।

(ग) भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(घ) देश में बनने वाले ईवी घटकों के प्रतिशत का आंकड़ा केंद्रीयकृत रूप से नहीं रखा जाता है।

(ङ) भारी उद्योग मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

****